निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :– श्री शैलेश सुराणा (RAS)
प्रकरण संख्या– 06/2015 प्रा.प.

दायर दिनांक– 12.02.2015
निर्णय दिनांकः– 10.03.2016

श्री खुमा पिता मोगा मीणा निवासी अमरपुरा प.म. पण्डयावाडा तहसील ऋषभदेव

–प्रार्थी–

बनाम

फौत श्री नाथू पिता ताजू मीणा निवासी अमरपुरा प.म. पण्डयावाडा तहसील ऋषभदेव
1/1 श्रीमति नवली बेवा नाथू मीणा वगैराह निवासी अमरपुरा प.म. पण्डयावाडा तहसील ऋषभदेव

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 एवं धारा 151 जा.दी.

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उक्त अनवान में दिनांक 22.12.2014 को पेशी नियत थी। प्रार्थी बीमार होने एवं उनके अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। प्रार्थी बीमार होने की सूचना भी अपने अधिवक्ता को नहीं दे सका और वाद अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया है। उक्त मामला नाम कायमी के स्टेज पर है। प्रार्थी अत्यन्त गरीब व्यक्ति है। प्रकरण रेस्टोर नहीं किया गया तो प्रार्थी अपने हको से हमेशा–हमेशा के लिए वंचित हो जावेगा। न्यायहित में प्रकरण पुनः रेस्टोर किया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रकरण रेस्टोर कराने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण श्रीमति नवली व बसु उर्फ बन्शी की तरफ से वकील श्री लक्ष्मीनारायण नायक ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करते हुए बताया कि प्रार्थी द्वारा उक्त कथन वेग में किया गया है तथा प्रार्थी किस बीमारी से ग्रस्त था, कब से कब तक बीमार रहा तथा कहां ईलाज कराया आदि कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। मामले में अधिवक्ता की गैर हाजरी का भी कोई उचित कारण नहीं किया गया है। प्रार्थी जान–बूझ कर मामलें में गैर हाजिर होने से न्यायालय द्वारा मामला अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करने का सही आदेश दिया गया है। प्रार्थी द्वारा मामले के सही तथ्यों के विपरीत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी मामले को लम्बा कर अकारण लटकाये रखना चाहता है। प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। केवल राजस्व रेकार्ड में अंकन होने के आधार पर अप्रार्थी को उनके हक से वंचित करना चाहता है, जिससे अप्रार्थीगण को काफी क्षति पहुंच रही है। विशेष कथन में बताया है कि प्रार्थी तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। प्रार्थना–पत्र उचित एवं पर्याप्त कारणों पर प्रस्तुत नहीं किया है। अंत में निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना–पत्र कानूनन् मेन्टनेबल नहीं होने से मय हर्जे–खर्जे खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षो के अधिवक्तागण की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस अपने प्रार्थना–पत्र के अनुरूप ही रही। मुख्यतः यही कथन किया कि दिनांक 22.12.2014 की नियत तारीख पेशी पर प्रार्थी के बीमार होने व अधिवक्ता स्वयं के अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से इस न्यायालय में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हो पाये थे। अतः प्रार्थी के न्यायिक हितो के दृष्टिगत प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस भी अपने प्रार्थना–पत्र के अनुरूप ही रही। मुख्यतः यही कथन किया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र वेग कथनो पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने यह नहीं बताया कि यदि वो बीमार था तो कब से कब तक बीमार था, किस बीमारी से पीड़ित था तथा कहां से बीमारी का ईलाज करवाया। प्रार्थी की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया कि उनके अधिवक्ता किस न्यायालय में किस मामले में व्यस्त होने की वजह से इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये थे। यह भी कि प्रार्थी इस प्रकरण को अकारण लम्बा कर लटकाना चाहते है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र उचित व पर्याप्त कारणो पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अंत में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने उभय पक्षो के अधिवक्तागण की बहस पर चिंतन व मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया। इस प्रकरण में मूल दावा बाबत पांति बंटवाड़ा दिनांक 25.08.05 को दायर हुआ था तथा दिनांक 25.08.11 को अंतिम रूप से डिक्री किया गया था। तत्पश्चात अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 11.07.2012 से रिमांड होकर इस न्यायालय में दिनांक 31.08.2012 को पुनः दायर हुआ तथा दिनांक 03.10.2013 को वादी (प्रार्थी) की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया। इस दिनांक को पत्रावली वास्ते शहादत प्रतिवादी की स्टेज पर विचाराधीन थी। दिनांक 03.10.2013 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र 09R9 एवं धारा 151 सीपीसी पर दिनांक 12.12.2013 को प्रकरण पुनः दायर किया गया तथा दिनांक 22.12.2014 को प्रार्थी व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रार्थना–पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। दिनांक 22.12.2014 को प्रकरण मृतक प्रतिवादी के वारिसान तलबी हेतु नोटिस प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी (वादी) के जिम्मे लम्बित था। पुनः प्रार्थी के प्रश्नग्रस्त प्रार्थना–पत्र 09R9 एवं धारा 151 सीपीसी पर दिनांक 12.02.2015 को प्रकरण पुनः सुनवाई पर लिया गया। प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के बाद केवल मात्र अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रस्तुत करने में 6 माह का समय जाया कर दिया गया। अभी भी पिछले सवा दो वर्षो से यह प्रकरण 09R9 के प्रार्थना–पत्र के निस्तारण में ही लम्बित चल रहा है। पत्रावली की पिछले दो वर्षो की प्रोसिडिंग्स के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी अधिवक्ता व प्रार्थी द्वारा इस मामले में समुचित प्रकार से पैरवी नहीं की जा रही है तथा न ही आवश्यक रूचि ली जा रही है। प्रार्थी पक्ष की इस अरूचि की वजह से प्रकरण अनावश्यक लम्बा खींच रहा है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र भी समुचित कारणों व आधारो पर प्रस्तुत नहीं किया है। केवल इस कथन मात्र पर, कि प्रार्थी बीमार था व अधिवक्ता अन्य न्यायालय में अन्य कार्य में व्यस्त होने की वजह से इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये, यह प्रासंगिक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दावे को रेस्टोर करना चाहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी विचारणीय है कि अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने से पूर्व मूल दावा शहादत प्रतिवादी की स्टेज पर लम्बित था। अर्थात दावा काफी हद तक परिपक्व स्थिति में है। ऐसे में यदि इस प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर दावे को पुनः रेस्टोर नहीं किया गया तो न केवल समस्त पक्षों की इस स्टेज तक की मेहनत व्यर्थ हो जायेगी बल्कि दावे का गुणावगुण के आधार पर निर्णय भी नहीं हो पायेगा, जिससे अनावश्यक वाद–विविधताएं भी बढ़ेगी। लेकिन साथ ही प्रार्थी को इस बात की छूट भी नहीं दी जा सकती कि उसकी समुचित रूचि/पैरवी के अभाव में प्रकरण अनावश्यक लम्बा होता जाये तथा न्यायालय का समय भी जाया हो। अतः मूल दावे की स्टेज व न्याय हित में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है लेकिन साथ ही प्रार्थी को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो प्रकरण में प्रत्येक तारीख पेशी पर अपने मामले की पूर्ण रूचि व गम्भीरता के साथ पैरवी करे अन्यथा न्यायालय को मजबूरन सख्त होकर सी.पी.सी. के नियमो के तहत कठोर निर्णय लेने पर विवश होना पड़ेगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(शैलेश सुराणा)
सहायक कलेक्टर
ऋषभदेव